पाठ 22

नगरीय संस्थाएं

आइए सीखें

- नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के विषय में।

नगरों में हम अनेक प्रकार के उद्योग और व्यापार तथा क्रियाकलापों को देखते हैं। नगर बड़ी संख्या में दूरदराज के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लोग बड़ी संख्या में नगरों में आते हैं तथा यहाँ आकर बस जाते हैं, जिससे नगरों की जनसंख्या बढ़ती है।

लोगों को ज्यादा से ज्यादा घर, बिजली, पीने के पानी व अच्छी यातायात सुविधाओं की आवश्यकता होती है नगरों की तथा नगरों में निवास करने वाले लोगों की समस्याएं स्वाभाविक तौर पर गांवों से भिन्न होती हैं। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए नगरों तथा शहरों की स्वशासित संस्थाओं को अधिक धन व अधिकारों की आवश्यकता होती है।

नगरों व शहरों की स्थानीय स्वशासी संस्थाएँ नगर पंचायत, नगर पालिका व नगर निगम के नाम से जानी जाती हैं। इन्हें शहरी क्षेत्र की स्थानीय संस्थाएँ भी कहते हैं।

नगर पंचायत

नगर पंचायत, क्षेत्र व जनसंख्या के आधार पर नगर गाँव से बड़ा परन्तु शहर से छोटा होता है। यह शहरी जनसंख्या की सबसे छोटी इकाई है। प्रत्येक नगर में एक नगर पंचायत होती हैं। यह एक निर्वाचित संस्था है।

गठन- जिन नगरों की जनसंख्या पाँच हजार से बीस हजार तक होती है, वहाँ नगर पंचायतों का गठन किया जाता है। इन नगरों को छोटे-छोटे भागों में बांटा जाता है। इन्हें वार्ड कहते हैं। प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य उस वार्ड के मतदाताओं द्वारा निर्वाचित किया जाता है, इस चुने हुए सदस्य को 'पार्षद' कहते हैं।

प्रत्येक नगर पंचायत में एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष होता है। इनमें से अध्यक्ष का चुनाव जनता द्वारा सीधे तथा उपाध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित पार्षदों द्वारा पार्षदों के बीच से ही किया जाता है। ये बैठकों की अध्यक्षता करते हैं।

नगर पंचायत के निर्वाचित सदस्य कुछ विशिष्ट अनुभवी व्यक्तियों को चुनते हैं, जिन्हें 'एल्डरमैन' कहते हैं। ये व्यक्ति नगर पंचायत को सलाह देने का कार्य करते हैं। किसी प्रस्ताव के पारित किये जाते समय एल्डरमेन मत नहीं दे सकते केवल सुझाव दे सकते हैं।

एक नगर पंचायत में वार्डों की संख्या **15** से **40** तक होती हैं।

नगर पंचायत का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी होता है। इसका कार्य नगर पंचायत के निर्णयों का पालन कराना होता है।

नगर पंचायत में पार्षद बनने हेतु स्थानीय निवासी, 21 वर्ष की आयु तथा मतदान का अधिकार होना आवश्यक है।

नगरपालिका

ऐसे शहर जो नगरों से बड़े होते हैं, वहाँ नगरपालिकाएँ गठित की जाती हैं। इनको नगर परिषद् या नगर बोर्ड भी कहते हैं।

गठन- जिन नगरों की जनसंख्या बीस हजार से अधिक और एक लाख से कम होती है, वहाँ नगर पालिकाएँ गठित की जाती हैं। नगरों को विभिन्न वार्डों में बाँटा जाता है। एक नगर पालिका में वार्डों की संख्या 15 से 40 तक हो सकती है। प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य का निर्वाचन किया जाता है। इसे पार्षद कहते हैं।

नगर पालिका का एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष होता है। अध्यक्ष का चुनाव जनता द्वारा सीधे तथा उपाध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित पार्षदों द्वारा किया जाता है। ये बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। नगर पालिका की

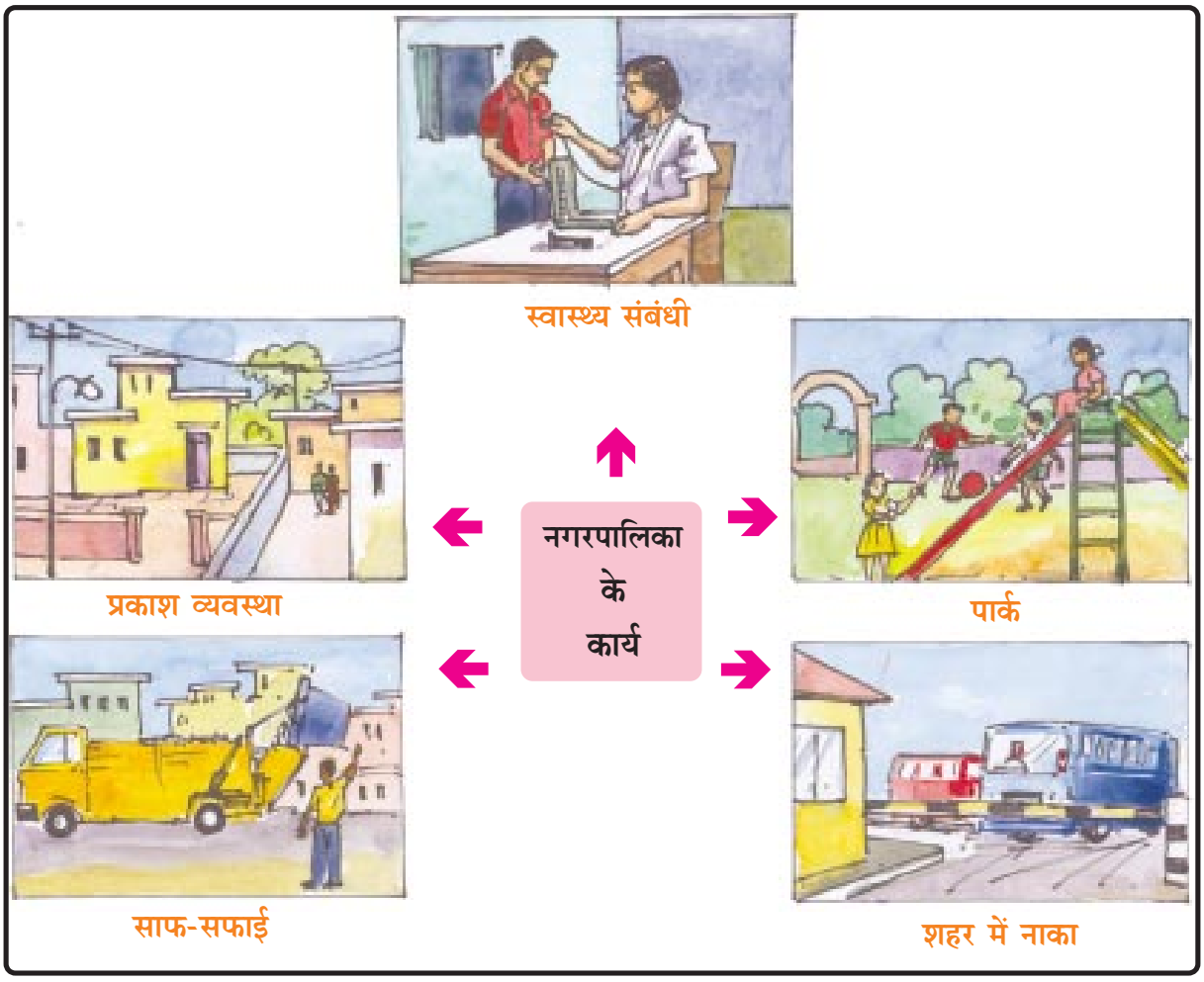

बैठकें नियमित होती हैं।

राज्य शासन द्वारा नगरपालिकाओं में मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्त किया जाता है, इसका कार्य परिषद के निर्णयों को लागू करवाना होता है।

प्रथम नगरपालिका मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसीनगर में 17वीं शताब्दी में गठित की गई थी। स्वतंत्रता के समय भारत में मात्र तीन नगरपालिकाएँ थीं- मद्रास, मुम्बई और कोलकाता।

नगर निगम

गठन- नगर निगम बड़े-बड़े शहरों में स्थापित किये जाते हैं, जिन नगरों की जनसंख्या एक लाख से अधिक होती है, वहाँ नगर निगम का गठन किया जाता है। नगर पंचायत तथा नगर पालिका की भांति बड़े शहरों के क्षेत्र को छोटे-छोटे भागों में बाँट कर पार्षदों का चुनाव किया जाता है।

नगर निगम में चुने हुए सदस्यों की संख्या 50 से 150 तक होती है। नगर निगम के सदस्य भी कुछ अनुभवी, विशिष्ट लोगों को एल्डरमैन के रूप में चुनते हैं।

नगर निगम का सदस्य बनने के लिए कम से कम 21 वर्ष की आयु तथा उस क्षेत्र का मतदाता होना आवश्यक होता है।

नगर निगम के अध्यक्ष को 'महापौर' अथवा 'मेयर' कहते हैं। एक 'उपमहापौर' की भी व्यवस्था है। महापौर का चुनाव जनता द्वारा सीधे तथा उपमहापौर का चुनाव निर्वाचित पार्षदों द्वारा किया जाता है।

प्रत्येक नगर निगम में एक प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है। इसे निगम आयुक्त कहते हैं। इस पद पर नियुक्त होने वाला अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा या राज्य प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ अधिकारी होता है। इसका कार्य निगम के निर्णयों को लागू कराना है।

नगर पालिका एवं नगर निगम में डाक्टर, इंजीनियर तथा शिक्षा विशेषज्ञ भी होते हैं। इनमें नगरीय विकास के लिए कई समितियाँ होती हैं। इन समितियों के अपने अध्यक्ष होते हैं।

नगरीय स्वशासी संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इनमें महिलाओं, अनुसूचित जाति-जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु आरक्षण की व्यवस्था भी है।

नगर पंचायत, नगरपालिका, व नगर निगमों के आय के साधन-

इन संस्थाओं की आमदनी के कुछ स्रोत हैं, जिनसे ये धन (कर) प्राप्त कर अपनी आय प्राप्त करती हैं:-

1. मकान, जमीन पर कर लगाना, इसे सम्पत्ति कर कहते हैं।
2. व्यापार, व्यवसाय तथा वाहनों पर कर लगाना।
3. पानी तथा रोशनी की सुविधा हेतु शुल्क लेकर।
4. इन संस्थाओं की स्वयं की सम्पत्ति जैसे भवन, दुकान, आदि से प्राप्त किराया।

5. राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान व वित्तीय सहायता।

6. विभिन्न प्रकार की अनियमतताओं पर लगाए गए जुर्माने से प्राप्त राशि।

नगर पंचायत, नगर पालिका व नगर निगमों के कार्य

इन नगरीय संस्थाओं द्वारा किये जाने वाले कार्यों को दो भागों में बांटा जा सकताहै। अनिवार्य कार्य और ऐच्छिक कार्य।

अनिवार्य कार्य

- नगर के सुव्यस्थित विकास की योजना बनाना।
- भवन निर्माण व भूमि के उपयोग की स्वीकृति देना।
- सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए योजना बनाना।
- सड़कों तथा पुलों का रख-रखाव करना।
- प्रकाश व पेयजल की व्यवस्था करना।
- गंदे पानी के निकास हेतु नालियों का निर्माण व सफाई करवाना।
- जनता के स्वास्थ्य व शिक्षा की व्यवस्था करना।
- पर्यावरण की सुरक्षा व नगर की सुन्दरता के लिए पार्कों का निर्माण व वृक्षारोपण करवाना।
- बच्चों के खेलकूद व मनोरंजन हेतु स्थान का विकास करना। कमजोर वर्ग, विकलांग, मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों तथा समाज के अन्य वर्गों की सुरक्षा करना।
- झोपड़ पट्टियों में जन सुविधाओं का विकास, गरीबी उन्मूलन के लिए कार्य, जन्म-मृत्यु का पंजीयन, श्मशान, कब्रिस्तान के लिए स्थान निर्धारित करना, आवारा पशुओं की रोकथाम करना व अग्निशमन के उपाय करना नगरीय संस्थाओं के अनिवार्य कार्य है।

ऐच्छिक कार्य-

- नई सड़कों, भवनों का निर्माण।
- पुस्तकालय, वाचनालय, चिड़ियाघर की व्यवस्था करना।
- धर्मशाला, विश्रामगृह, वृद्ध आश्रम आदि का निर्माण व प्रबंधन करना।
- शिशु कल्याण कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना।

- नगरों में हम अनेक प्रकार के उद्योगों व व्यापारिक क्रियाकलापों को देखते हैं।
- नगरों की स्थानीय स्वशासी संस्थाएँ, नगर पंचायत, नगरपालिका व नगर निगम के नाम से जानी जाती हैं।
- नगरपालिका व नगर निगम के सदस्यों को **'पार्षद'** कहते हैं।
- नगर निगम के अध्यक्ष को **'महापौर'** या **'मेयर'** कहते हैं।
- नगर निगम के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी को निगम आयुक्त के नाम से जाना जाता है।
- नगरीय संस्थाएं नगरों का विकास व नागरिकों के कल्याण का कार्य करती हैं।

अभ्यास प्रश्न

1. लघु उत्तरीय प्रश्न

(अ) शहरी क्षेत्र की स्थानीय संस्थाएँ किन्हें कहते हैं?

(ब) नगर पंचायत कितनी जनसंख्या वाले नगरों में गठित की जाती हैं?

(स) 'एल्डरमैन' क्या कार्य करते हैं?

2. दीर्घ उत्तरीय-प्रश्न

(अ) नगरीय संस्थाओं के अनिवार्य पाँच कार्य कौन-कौन से हैं?

(ब) नगरीय संस्थाओं के कौन-कौन से ऐच्छिक कार्य हैं?

(स) नगरीय संस्थाओं के आय के साधन बताइये।

(द) वार्ड, मेयर, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष किसे कहते हैं?

(य) नगर पंचायत या नगरपालिका का गठन कैसे होता है? वर्णन कीजिए।

3. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

(अ) वृक्ष लगवाना एवं उनकी देखभाल करना नगरीय संस्थाओं का ..... कार्य है।

(ब) 'नगर निगम आयुक्त' का कार्य ..... लागू करवाना है।

(स) नगरपालिका के सदस्यों को ..... कहा जाता है।

(द) स्थानीय संस्थाओं को राज्य सरकार से ..... प्राप्त होता है।

4. सही जोड़ी बनाइए-

अ	ब
अ. नगर पंचायत गठित की जाती है	एक लाख से अधिक जनसंख्या पर
ब. नगर पालिका गठित होती हैं-	पांच से बीस हजार की जनसंख्या पर।
स. नगर निगम गठित होता है-	बीस हजार से एक लाख की जनसंख्या पर।

प्रोजेक्ट कार्य- ● आप अपने नगर अथवा गांव के पास गठित किसी एक स्थानीय संस्था के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आयुक्त के नाम पता कीजिए।

❖❖❖❖